बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

बिहार महादलित विकास मिशन

पाँचवा तल्ला, भूमि विकास बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना फोन–(0612) 2215082
इमेल – bmvm.hq@bmvm.org, वेबसाइट – www.mahadalitmission.org

पत्रांक : बि·एम·वि·एम·343–01/14–247

प्रेषक,

एस. एम. राजू (भा.प्र.से.),
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार महादलित विकास मिशन –सह–
सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी –सह–
जिला परियोजना पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक : 20/02/2015

विषय : दशरथ मांझी कौशल विकास योजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के अनतर्गत संचालित प्रशिक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 2014–15 के लिए प्रशिक्षण के लिए दशरथ मांझी कौशल विकास योजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के अनतर्गत संचालित प्रशिक्षण हेतु निम्न दिशा निर्देश निर्गत किया जाता है : –

1. प्रत्येक जिला में प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या एवं प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को सम्बद्ध किया गया है, जो आवश्यक जॉच कर सतुष्ट हो लेंगे कि संस्थाएं प्रशिक्षण देने हेतु सभी तरह से सक्षम हैं। साथ ही निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाइन प्रतिवेदन प्रेषित करते हुए प्रखंड कल्याण पदाधिकारी –सह– प्रखंड परियोजना पदाधिकारी संबंधित एजेंसी को अपने स्तर से प्रशिक्षण प्रारम्भ करने का निदेश दे सकेंगे।

2. **प्रशिक्षणार्थियों का चयन : –**

प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के चयन के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों के योग्यता का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु मिशन द्वारा ऑन–लाईन सिस्टम विकसित किया जाएगा। ऑन–लाईन के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् मिशन स्तर पर जिलावार, ट्रेडवार आवेदनों को अलग कर इसकी सूचना संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारियों को एजेंसी टैग करते हुए भेज दिया जाएगा। इसकी सूचना संबंधित एजेंसियों को भी दे दी जाएगी। आवेदकों द्वारा आवेदन का प्रिंट आउट निकालकर आवश्यक प्रमाण–पत्रों के साथ जिला कल्याण पदाधिकारियों को आवेदन समर्पित करेंगे। जिला कल्याण कार्यालय आवश्यक जॉच कर आवेदकों की सूची संबंधित एजेंसी को उपलब्ध करा देंगे।

आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना आवश्यक होगा : –

i. जाति प्रमाण–पत्र
ii. आय प्रमाण–पत्र
iii. निवास प्रमाण–पत्र
iv. फोटो
v. बैंक पासबुक का फोटो कॉपी

संबंधित एजेंसी द्वारा अध्यापन का कार्य किया जाएगा। प्रथम सप्ताह तक लगातार अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थी को दूसरे प्रशिक्षणार्थी से बदलने हेतु अनुरोध एजेंसी द्वारा किया जा सकता है। प्रथम सप्ताह के उपरांत बैच में नामांकन नहीं किया जाएगा। नामांकित प्रशिक्षणार्थियों के विरूद्ध ही भुगतान किया जाएगा।

3. **प्रशिक्षक** – प्रशिक्षक एजेंसी के अपने पे–रॉल पर होंगे। प्रशिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता MES (Modular Employable Skills) के प्रशिक्षकों के अनुरूप होगी। साथ ही प्रशिक्षकों के पास संगत क्षेत्र में अध्यापन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

4. **वृति** – प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति प्रशिक्षण दिवस के लिए ₹ 100 की वृति दी जाएगी। वृति की राशि एजेंसी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी एवं इसका प्रमाण मिशन के वेबसाईट पर एजेंसी द्वारा अपलोड किया जाएगा। एजेंसी के भुगतान के लिए वृति वितरण प्रतिवेदन ऑन लाईन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। भ्रमण के क्रम में पदाधिकारियों द्वारा भी समय–समय पर इसकी पुष्टि की जाएगी।

5. **पर्यवेक्षण** : त्रिस्तरीय अनुश्रवण योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय अनुश्रवण की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक 15 दिन पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा माह में एक बार औचक निरीक्षण किया जाएगा तथा राज्य मिशन कार्यालय द्वारा औचक (Randomly) निरीक्षण किया जाएगा। सभी अनुश्रवण प्रतिवेदन ऑन लाइन विहित प्रपत्र में किये जाएंगे।

6. प्रशिक्षणार्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्र एवं पाठ्यक्रम इत्यादि के लिए MES (Modular Employable Skills) के दिशा–निर्देश का अनुशरण किया जाएगा।

7. किसी भी स्थिति में प्रशिक्षण कार्य को उप आवंटित **(Sublet)** नहीं किया जा सकता है। उप आवंटन से संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर उस एजेंसी के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

8. अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से निर्धारित दर पर प्रशिक्षण कार्य किया जाएगा। मिशन द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण कराया जाएगा।

9. प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत एजेंसी द्वारा NCVT/SSC (Sector Skill Council) के माध्यम से परीक्षा एवं प्रमाणन करायी जाएगी एवं यह व्यय एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा। प्रमाण–पत्र वितरण के उपरांत तृतीय किस्त का भुगतान किया जाएगा।

10. **आधारभूत संरचना के बिन्दु निम्न है : –**

- 40 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के संचालन हेतु उपयुक्त कक्षा होनी चाहिए। प्रति प्रशिक्षणार्थी हेतु कम से कम 10 वर्गफीट जगह होनी चाहिए।
- 40 प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपयुक्त संख्या में उपस्कर होने चाहिए।
- प्रशिक्षणार्थी एवं प्रशिक्षण के अनुरूप प्रयोगशाला की व्यवस्था होनी चाहिए।
- प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु Geotagged Biometric Attendance System एवं CCTV कैमरे की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही प्रयोगशाला की व्यवस्था होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण केन्द्र पर उच्च क्षमता वाले इंटरनेट की व्यवस्था प्रशिक्षणार्थियों के उपयोग हेतु होनी चाहिए।

11. 75 प्रतिशत रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् एवं इससे संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरांत अंतिम किस्त का भुगतान की जाएगी। स्पोकेन इंग्लिश ट्रेड हेतु यह अहर्ता अनिवार्य नहीं होगी।

विश्वासभाजन

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
–सह– सचिव

ज्ञापांक : 247

दिनांक : 20/02/2015

प्रतिलिपि : सभी संबंधित एजेंसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
–सह– सचिव